न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं. अर्न्तगत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान सरकार श्री जेठूसिंह पुत्र श्री लाखसिंह

जरिये पटवारी हल्का कौम राजपूत निवासी गिराब

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

"निर्णय" दिनांक 10.04.18

पत्रावली आज बमुकाम कार्या. हाजा में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बांधड़ा ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं। कि गै. सा. ने मौका कुण्डल के खसरा नं. 140 रकबा 656.15 बीघा में से 1.00 बीघा किस्म गै.म. रा.टी. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये .... पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये .... पूर्णाक में 50 रुपये .... अक्षरे रु. पचास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत .... को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर ~~खड़ी फसल~~ घास को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रुप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रुप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 10.04.18 को सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना 50/- फसल नि. ——
कुल योग 50/- रजि.के पृष्ठ सं. 05
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया :

(हस्ताक्षर)
राजस्व लेखाकार

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर
तहसीलदार गडरारोड़